निशक्तजनों हेतु तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा : चुनौतियों और समस्यायें

डॉ0 जे.एस. सैनी

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष

एन-एस-कयू-ऍफ़- फैसिलिटेशन यूनिट एवं पी-डब्ल्यू-डी स्कीम

अधिष्ठाता, विस्तार सेवाएं एवं परामर्श

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

[मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार]

अगस्त 2015

निशक्तजनों हेतु तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा : चुनौतियों और समस्यायें

प्रोफेसर (डा0) जे. एस. सैनी
अधिष्ठाता, विस्तार सेंवाएं एवं परामर्श
नाइटर, चण्डीगढ़
ई-मॅलः jssainittti@rediffmail.com

दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां निशक्तजन नहीं रहते । विकसित अविकसित, अमीर–गरीब, पूर्वी सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता वाले देश सभी में लाखों और करोड़ों की संख्यां में निशक्तजन निवास करते हैं। एक समय था जब निशक्तजनों को बेचारा एवं लाचार समझ कर उन की मदद की जाती थी। विकलांगता को पूर्व जन्मों के कर्मो से जोड़ा जाता था । विकलांगो के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के फलस्वरुप यह सिद्ध हो गया है कि निशक्तजन भी समाज में अपना योगदान दे सकते हैं तथा दूसरे व्यक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं ।

संसार भर के अनेक देशों में निशक्तजनों के लिए अलग–अलग कानून बनाए गए हैं तथा निशक्तजनों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम चल रहा है । भारत वर्ष में सन् 1995 से पहले निशक्तजनों हेतु भलाई का काम ज्यादातर समाज कल्याण विभाग तथा स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा ही किया जाता था । 1981 से 1991 तक निशक्तजनों के लिए दशक घोषित किया गया और उस के पश्चात् 1995 में भारतवर्ष के संसद ने निशक्तजन कानून बना दिया । निशक्तजन कानून 1995 बनने के बाद सभी विभागों और मंत्रालयों से अपेक्षा की जाती थी कि निशक्तजनों के सशक्तिकरण हेतु कुछ न कुछ कार्यक्रम आवश्य शुरू करें। इस दिशा में कार्यक्रम बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक एवं अनुसंधान संस्थानों को यह जिम्मेदारी दी गई कि शीघ्र–अतिशीघ्र निशक्तजनों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु एक योजना बनाई जाए । देश के चारों राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक एवं अनुसंधान संस्थानों ने 1998 एवं 1999 में कईं कार्यशालाओं का अयोजन करने के पश्चात् एक योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सौंप दी । इस योजना के अनुसार देशभर मे 50 चयनित बहुतकनीकी संस्थानों में निशक्तजनों के लिए औपचारिक एव अनौपचारिक कार्यक्रमों का आयोजन होना निश्चित हुआ था । ऐसे निशक्तजन जो दसवीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों उनके लिए तीन वर्षीय बहुतकनीकी डिप्लोमा में प्रवेश पाने का रास्ता सुझाया गया तथा वह निशक्तजन जो कम पढ़े लिखे हों, या अनपढ़ हों तथा वह जो दसवीं पास करने के पश्चात् आगे पढ़ाई करने में असमर्थ हों, उन के लिए अनौपचारिक कौशल विकास कार्यक्रमों [informal skill development programmes] का आयोजन करना सुनिश्चित किया गया ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने चारों राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा बनाई गई योजना को 1999 में मान्यता दे दी । तत्पश्चात् चारों संस्थानों की सहायता से देश के 24 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 50 बहुतकनीकी संस्थानों का चयन किया गया और उन संस्थानों में प्रस्तावित योजना को वर्ष 2000–2001 से शुरू करने का निर्णय लिया गया। चयनित संस्थानों की सूची Annexure-I में दर्शायी गई है ।

निशक्तजनों के लिए समेकिक तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा देने की योजना में बहुत सारी चुनौतियां संभव थी । इन चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निम्नलिखत संस्थानों को संसाधन संस्थान घोषित किया :

1. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, सेक्टर 26, चण्डीगढ़ – 160019**
4. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, तारामणी, चेन्नई – 600113**
3. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, साल्ट लेक सीटी, कोलकात्ता 700106**
4. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, शामला हिल्स, भोपाल . 462002**
5. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, 116, राजपुर रोड, देहरादून - 248001
6. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, के.सी. मार्ग, बांद्रा रीक्लेमेशन, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई - 400 050
7. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500 009
8. राष्ट्रीय अस्थि विकलांगजन संस्थान, बी.टी. रोड, बोन-हुगली, कोलकात्ता - 700 090
9. गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की - 247667
10. डा. अम्बेदकर इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, अवधपुरी, कानपुर - 208024
11. संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल (पंजाब) - 148106
12. जेएसएस पॉलिटेक्निक फॉर डिफरेंटली एबल्ड, मनसांगोठरी, मैसूर - 570006

योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह सोचा गया कि इस योजना का लगभग सारा व्यय भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय वहन करे । योजना को चलाने के लिए मंत्रालय ने सभी संसाधन संस्थानों तथा 50 चयनित बहुतकनीकी संस्थानों को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान देने का निर्णय लिया। योजना में चयनित बहुतकनीकी संस्थानों में निश्क्तजनों के आने–जाने और पढाई–लिखाई में बाधा डालने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए एक मुश्त अनावर्तक अनुदान का प्रावधान किया गया। इस धनराशि से ढांचागत अवरोधों कों दूर करने तथा अनौपचारिक कौशल विकास में काम आने वाले संयंत्र एवं कल पुर्जे खरीदनें में प्रयोग करने का प्रावधान किया गया ।

प्रत्येक चयनित बहुतकनीकी संस्थान को 15 लाख रूपये, औपचारिक डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू करने के लिए तथा 15 लाख रूपये अनौपचारिक कौशल विकास के लिए कार्यशाला बनाने तथा संयंत्र खरीदने के लिए देना तय किया गया।

निशक्तजनों के प्रशिक्षण में व्यय एक आम प्रशिक्षण कार्यक्रम से कहीं अधिक होता है क्योंकि प्रत्येक निशक्तजन की अपनी समस्या और अपनी ही प्रशिक्षण ग्रहण करने की क्षमता होती है । इसलिए उन्हें बहुत बड़े समूह में प्रशिक्षित करना संभव नही है । योजना में इस बात के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि निशक्तजनों को 5-6 व्यक्तियों के छोटे-छोटे समूहों में प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षणार्थियों का समूह छोटा होने के कारण और प्रशिक्षण में एक सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से अधिक समय लगने के कारण प्रति-व्यक्ति व्यय अधिक होने का अनुमान लगाया गया । यह भी अनुमान लगाया गया कि अगर एक बहुतकनीकी संस्थान 3-6 महीनों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एक साल में 100 निशक्तजनों को प्रशिक्षित करे तो भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक साल में एक बहुतकनीकी संस्थान को लगभग 32 लाख रूपए आवर्तक अनुदान के रूप में देने होंगे । भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यह व्यय करने के लिए तैयार हो गया । वर्ष 2000-2001 से योजना में सुझाए कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए सरकार ने सभी चयनित बहुतकनीकी संस्थानों को आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान दे दिया । इस के साथ-साथ सरकार ने चयनित संसाधन संस्थानों को, जिन में चारों राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान शामिल थे, आवर्तक अनुदान दे दिया। धीरे-धीरे सभी चयनित बहुतकनीकी संस्थानो नें योजना को समझा और वर्ष 2000-2001 से विकलांगजनों के लिए औपचारिक और अनौपयारिक कार्यक्रम शुरू कर दिए गए । कुछ बहुतकनीकी संस्थानों ने पहले वर्ष से, कुछ ने दूसरे वर्ष से, कुछ ने तीसरे वर्ष से और शेष संस्थानों ने चौथे वर्ष से योजना के अनुसार विकलागजनों हेतु कार्यक्रम करने शुरू कर दिये ।

इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए और बहुतकनीकी संस्थानों को हर वर्ष समय पर आर्थिक सहायता दिलाने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक विशेषज्ञों के समूह का गठन किया । यह विशेषज्ञ समूह एक साल में एक बार अपनी बैठक करने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बहुतकनीकी संस्थानों को दिये जाने वाली अनुदान की राशि की सिफारिश कर दिया करता था । योजना के प्रारम्भिक 3-4 वर्ष तक अनुदान से संबंधित यह प्रथा सुचारू रूप से चलती रही और चयनित संस्थानों को बिना किसी कठिनाई के अनुदान मिलता रहा । कुछ वर्षों बाद मंत्रालय में कुछ बदलाव तथा स्थानांत्रण हुए और विशेषज्ञों के समूह की वार्षिक बैठक बुलाना बंद हो गई । विशेषज्ञों के समूह की बैठक न होना चयनित बहुतकनीकी संस्थानों के लिए

एक समस्या बन गई और धीरे-धीरे बहुतकनीकियों को प्रदान किया जाने वाला आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान कम होने लगा । इस योजना से सम्बंधित उपलब्धियों का लेखा-जोखा निम्नलिखित आंकड़ों से सिद्ध होता है ।

क्रम संख्या	वर्ष	डिपलोमा कार्यक्रमो में प्रवेश	अनौपचारिक कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित निश्क्तजनों की संख्या	टिप्पणी
1.	2000-01	37	88	
4.	2001-02	188	592	
3.	2002-03	338	1302	
4.	2003-04	447	2250	
5.	2004-05	607	3496	
6.	2005-06	663	3150	
7.	2006-07	749	3295	
8.	2007-08	651	1793	
9.	2008-09	626	1447	
10.	2009-10	660	1488	
11.	2010-11	592	1479	
12.	2011-12	388	1231	50 संस्थानों में से केवल 54 ने सूचना भेजी
13.	2012-13	417	1654	
14.	2013-14	398	1417	
15.	2014-15	386	1042	

योजना की उपलब्धियाँ

निशक्तजनों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में भागीदार बनाने के लिए यह योजना बहुत ही महत्वांकांक्षी और प्रभावी सिद्ध हुई है । इस योजना के चलते आज पूरे देश के निशक्तजन 59 अलग-अलग डिप्लोमा कार्यक्रमों में भाग लेने में कामयाब हो चुके हैं । चयनित बहुतकनीकी संस्थानों में वे डिप्लोमा कार्यक्रम जिन मे निश्क्तजनों को प्रवेश पाने का अवसर और अधिकार हैं, उन की सूची Annexure–II में दी गई है।

इसी तरह से वह अनौपचारिक कौशल विकास कार्यक्रम जिन से निशक्तजन इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं, उन की सूची Annexure–III में दी गई है । आंकड़ों को देख कर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद ही भारत सरकार की कोई और ऐसी योजना हो जिस में इतनी बड़ी संख्या में तथा इतने विभिन्न प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रम निश्क्तजनों के लिए अपलब्ध हों । इन कार्यक्रमों से लाभान्वित निशक्तजन सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार पाने, स्वरोजगार शुरू करने तथा उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश पानें में सफल हुए हैं । निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह योजना निशक्तजनों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा दिलाने में और उन के सशक्तिकरण के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई है ।

चुनौतियां एवं समस्याएं:

निशक्तजनों के लिए भारतवर्ष में चल रही इस प्रकार की योजना बिना चुनौतियों और समस्याओं के नहीं हो सकती । इस योजना को चलाने में निम्नलिखित चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है :

1 समय पर अनुदान न मिलना :

शुरू–शुरू के कुछ वर्षो तक समी चयनित संस्थानों को समय पर अनुदान मिलता रहा तथा योजना सुचारू रूप से चलती रही । गत कई वर्षों के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनुदानित राशि वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में ही प्राप्त होती है । ऐसा होने से बहुतकनीकी संस्थान अनुदानित राशि अपने कार्यक्रम पूरे वर्ष सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ रहते हैं ।

2 जरूरत से कम अनुदान :

समय पर अनुदान न मिलने के साथ–साथ यह भी महसूस किया गया कि जो अनुदान बहुतकनीकी संस्थानों को दिया जाता है वह राशि प्रस्तावित कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कम पडती है । कम धनराशि की उपलब्धता के चलते बहुतकनीकी संस्थान कम कार्यक्रम कर पाते हैं । नए वर्ष के लिए अनुदान देते समय मंत्रालय पिछले वर्ष का खर्च और उपलबधियॉ ध्यान में रखता है । धीरे–धीरे पिछले कुछ वर्षो में उपलब्धियां और व्यय में कमी आई है । इस कमी के कारण मंत्रालय हर साल अनुदानित राशि में कमी करता चला आ रहा है । अनुदानित राशि कम होने से और समय पर न मिलने से संस्थानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और उपलब्धियों कम होती जा रही हैं ।

3 योजना का लाभ सभी प्रकार के निशक्तजनों को बराबर न मिलना :

जब यह योजना बनाई गई थी तो यह सोचा गया था कि सभी प्रकार की विंकलांगता वाले निशक्तजन (शारीरिक विकलांगता, मंदबुद्धि होना, दृष्टिबाधिता, मूक एवं बधिर और एक से अधिक प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति) इस योजना में बराबर के लाभार्थी होंगे । पिछले 15 साल से चल रही इस योजना के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 85-90% लाभार्थी शरीरिक विकलांगता वाले, 6-7% मूक एवं बधिर, 4-5% दृष्टिबाधित और 2-3% मंदबुद्धि या किसी और प्रकार की विकलांगता सें सम्बन्ध रखते हैं । इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस योजना का अधिकतम लाभ शारीरिक तौर पर विकलांगता वाले निशक्तजनों ने उठाया है और शेष सब प्रकार की विकलांगता वाले निश्क्तजन हाशिये पर ही हैं । इस प्रकार की चुनौती योजना के उद्देश्यों को पूरा करने मे बाधा बन रही है ।

4 प्रशिक्षकों के मानदेय में बदोतरी न होना :

यह योजना पिछले 15 वर्षो से चल रही है । जब योजना बनाई गई थी उस समय यह तय किया गया था कि जो प्रशिक्षक अनौपचारिक कौशल विकास कार्यक्रमों मे कार्यरत हों गे उन को 500 रूपए प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा । यह भी तय किया गया था कि एक समूह में ज्यादा से ज्यादा 5-6 निशक्तजन ही प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे । इस प्रकार एक प्रशिक्षक को ज्यादा से ज्यादा 3000 रूपए प्रतिमाह मानदेय दिया जा सकता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 15 वर्षों में एक बार भी इस योजना के वित्तीय प्रावधानों में बदलाव नहीं लाया गया है । पिछले 15 वर्षों में मंहगाई दर 2-3 गुणा हो चुकि है और प्रशिक्षकों के मानदेय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । मानदेय मे परिवर्तन न होने के कारण योग्य प्रशिक्षकों को योजना से जोड़ना असंभव होता जा रहा है और प्रशिक्षण कमजोर पड़ता जा रहा है ।

5 योजना का पूरे देश में लागू न होना :

यह योजना अभी तक देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 बहुतकनीकी संस्थानों में चल रही है । देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं । आवश्यकता इस बात की है कि यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीघ्र-अतिशीघ्र लागू की जाए ।

6 चयनित बहुतकनीकी संस्थानों की संख्या कम होना :

हमारे देश में 2 करोड़ 68 लाख निशक्तजन हैं। इतनी बडी संख्या में से लाखों लोग तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पाने के इच्छुक होंगे । व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा में निशक्तजनों को बराबर का अधिकार दिलाने के लिए यह जरूरी है कि इस योजना का विस्तार हो ।

7 दसवीं के पश्चात् बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक निशक्तजनों का अभाव :

किसी भी बहुतकनीकी संस्थान में प्रवेश पाने के लिए छात्र का विज्ञान और गणित पढ़ा होना आवश्यक माना जाता है । शारीरिक रूप सें विंकलांग बच्चों को छोड़ कर शेष वर्गों की विकलांगताओं से ग्रस्त बच्चे आमतौर पर गणित और विज्ञान की पढ़ाई में बहुत कम रूची रखते हैं । इस समस्या के चलते बहुतकनीकी संस्थानों मे प्रवेश पाने के इच्छुक निश्क्तजनों की संख्या कम रह जाती है । यही कारण है कि दृष्टि बाधित और मंदबुद्धि बच्चे बहुत ही कम संख्या में बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर पाते हैं । इस समस्या के समाधान के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम शारीरिक विकलांगता को छोड़ कर शेष बची विकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों को गणित एवं विज्ञान की पढाई के लिए प्रोत्साहित करें ताकि इस तरह के निशक्तजन तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में बराबर के भागीदार बन सकें ।

8 योजना के प्रावधानों को आई. टी. आई और इंजीनियरींग कालेजों में लागू करना:

अभी तक इस योजना का लाभ केवल उन निशक्तजनों को मिलता है जो 50 चयनित बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश पाने के इच्छुक हों । समय की पुकार है कि इस योजना को देश के चुंनिंदा आई. टी. आई. और इंजीनियरिंग कालेजों में भी लागू किया जाए । ऐसा करने से बहुत बडी संख्या में निश्क्तजन कौशल विकास और इंजीनिययरिंग की पढ़ाई कर पाएगें और अपने आप को सशक्त बना पाएगें ।

9 योजना की समीक्षा :

यह योजना वर्ष 2000-2001 से शूरू की गई थी । पिछले पंद्रह वर्षो में भारत सरकार की लगभग सभी योजनाओं की समीक्षा हो चुकी है और समय-समय पर वित्तीय प्रावधानों में भी बदलाव लाया गया है । यह इस योजना का दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि गत 15 वर्षों में इतने कुछ बदलाव हो गए परन्तु यह योजना वहीं है जहां यह 15 वर्ष पूर्व थी । योजना के वित्तीय प्रावधान पूर्णरूप से नाकाफी सिद्ध हो चुके हैं । अत: यह जरूरी हो गया है कि इस योजना की गहन रूप से समीक्षा हो और वित्तीय प्रावधानों में समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए न्याय-संगत बदलाव किये जाएं ।

निष्कर्ष:

इस में कोई संदेह नहीं कि भारत सरकार, मानव संसधान विकास मंत्रालय की यह योजना विकलांग जनों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में बराबर का भागीदार बनाने में काफी कारगर सिद्ध हुई है। वर्ष 2000-01 में इस योजना की एक छोटी सी शुरूआत हुई । धीरे-धीरे योजना के बारे में निशक्तजों की जानकारी बढ़ी और वह काफी संख्या में औपचारिक और अनौपचारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आगे आने लगे । वर्ष 2006-07 तक योजना के अंतर्गत उपलबधियों में लगातार बढ़ोतरी होती रही । तत्पश्चात् समय पर प्रर्याप्त अनुदान न मिलने के कारण इस योजना के निर्धारित लक्ष्य पूर करना मुश्किल होने लगा । पिछले 4-5 वर्षों में पर्याप्त धन के अभाव में बहुतकनीकी संस्थानों को इतनी वित्तीय समस्याओं से जूझना पड़ा कि कईं जगह तो केवल औपचारिक कार्यक्रम ही चलाए जा सके। कम मानदेय के कारण प्रशिक्षण देने वालों को लगाना असम्भव होता जा रहा हैं । योजना हित में अब यह आवश्यक हो गया है कि इस योजना की तुरन्त गहन रूप से समीक्षा हो और वित्तीय प्रावधानों में समयानुसार वृद्धि की जाए । इस के साथ-साथ इस योाजना को देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आई. टी. आई., बहुतकनीकी संस्थान और इंजीनियरिंग कालेजों में चलाने की आवश्यकता है । ऐसा होने से एक बड़ी संख्या में निशक्तजनों की तकनीकी शिक्षा में भागीदारी और सशक्तिकरण सम्भव हो पाएगा ।

संदर्भ सूची

1. अकलंक पब्लिकेशन, निशक्तजन कानून, 1995
2. जसमेर सिंह सैनी 'निशक्तजनों के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा', अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्ड़ीगढ, 2005
3. जसमेर सिंह सैनी और अमित गोयल 'निशक्तजनों का सशक्तिकरण', अभिषेक पब्लिकेशन्स, चण्ड़ीगढ, 2009
4. 'विकलांगता समीक्षाा', खण्ड़ 2, अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2006, सोसाइटी फार डिसेबिलिटी एण्ड रिहेबिलिटशन स्टीड़ीज, नई दिल्ली
5. भारत सरका, मानव संसधन विकास मंत्रालय 'मेनस्ट्रीमींग पर्सनज विद डिसेबिलिट इन टैक्नीकल एंड वोकेशनल एजुकेशन', 2000 ।

Annexure-I

योजनान्तर्गत चयनित संस्थानों की सूची

उत्तर क्षेत्र (15)

1. चंडीगढ़ इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कालेज, चंडीगढ़
2. राजकीय बहुतकनीकी, हिसार, हरियाणा
3. राजकीय बहुतकनीकी, सिरसा, हरियाणा
4. बी0पी0एस0 महिला बहुतकनीकी, खानपुर कलॉ, हरियाणा
5. कश्मीर राजकीय बहुतकनीकी, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर
6. राजकीय बहुतकनीकी, जम्मू, जम्मू व कश्मीर
7. राजकीय बहुतकनीकी कालेज, जोधपुर, राजस्थान
8. राजकीय बहुतकनीकी कालेज, अजमेर, राजस्थान
9. राजकीय महिला बहुतकनीकी कालेज, जोधपुर, राजस्थान
10. के एल बहुधंधी, रूड़की, उत्तराखण्ड
11. राजकीय बहुतकनीकी, झॉसी, उत्तरप्रदेश
12. राजकीय महिला बहुतकनीकी, मुरादाबाद, उत्तरप्रदेश
13. राजकीय बहुतकनीकी कालेज, सुन्दरनगर, हिमाचल प्रदेश
14. आर्य भट्ट बहुतकनीकी, नई दिल्ली
15. सन्त लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल, पंजाब

पश्चिम क्षेत्र (14)

16. राजकीय बहुतकनीकी, पणजी, गोवा 403001
17. श्री भावसिहंजी बहुतकनीकी संस्थान, विद्यानगर, भावनगर 364002 - गुजरात
18. राजकीय बहुतकनीकी, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद 380015 - गुजरात
19. राजकीय महिला बहुतकनीकी, पी.आर.एल. के सामने, अहमदाबाद 380015 - गुजरात
20. ड़ा. एस. एण्ड एस.एस. गांधाी अभियांत्रिकी एव 'प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत 395001 - गुजरात
21. राजकीय बहुतकनीकी, जबलपुर 482001 - मध्य प्रदेश
22. एस.वी. राजकीय बहुतकनीकी, भोपाल 462002 - मध्य प्रदेश
23. राजकीय महिला बहुतकनीकी, ग्वालियर 474005 - मध्य प्रदेश
24. राजकीय बहुतकनीकी, पुणे 411016 - महाराष्ट्र
25. राजकीय बहुतकनीकी, 49, खेरवाड़ी, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400051 - महाराष्ट्र
26. महाराष्ट्र स्टेट होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, 412 सीए शिवाजी नगर, पुणे 411016— महाराष्ट्र
27. राजकीय बहुतकनीकी, विद्यानगर, कोल्हापुर 416004 - महाराष्ट्र
28. राजकीय बहुतकनीकी, जी.ई. रोड़, दुर्ग 491001 - छत्तीसगढ़
29. राजकीय कन्या बहुतकनीकी, बाइरोन बाजार, रायपुर 492001 - छत्तीसगढ़

दक्षिण क्षेत्र (9)

30. राजकीय बहुतकनीकी, नजदीक रानी चन्नम्मा सर्कल, बेलगाम 590001 – कर्नाटक
31. राजकीय महिला बहुतकनीकी, बोंदल, मेंगलोर 575008 – कर्नाटक
32. श्रीमती एल.वी.राजकीय बहुतकनीकी, बी.एम. रोड़, हसन 573201 – कर्नाटक
33. श्री रामा राजकीय बहुतकनीकी कालेज, त्रीप्रीयार, वल्लपड़, थ्रीसूर जिला 680567 – केरल
34. राजकीय बहुतकनीकी कालेज, नट्टक्कम, कोट्टायाम 686013 – केरल
35. ड़ा. धर्माम्बल राजकीय महिला बहुतकनीकी कालेज, तारामणी, चेन्नई- 600113 – तमिलनाडू
36. अरसन गनेशन बहुतकनीकी कालेज, सिवकाशी 626123 – तमिलनाडू
37. राजकीय महिला बहुतकनीकी कालेज, भरथीयार रोड़, कोयम्बटूर 641044 – तमिलनाडू
38. महिला बहुतकनीकी, लॉस्पेट, पूद्दूचेरी 641044

पूर्व क्षेत्र (12)

39. आसाम इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट, चांदमाड़ी, सिल्पुखुरी, गोहाटी 781003 – आसाम
40. त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान, नरसिहंगढ़, अगरतला 799009– त्रिपुरा
41. नार्थ कलकत्ता बहुतकनीकी, 15, गोबिन्दा मण्ड़ल लेन, कासीपुर, कोलकाता 700002 – पश्चिम बंगाल
42. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, 56, बी.टी. रोड़, कोलकाता 700050 – पश्चिम बंगाल
43. रीजिनल मुद्रण प्रौद्योगिकी संस्थान, राजा एस.सी. मल्लिक रोड़, जादवपुर, कोलकाता 700032–पश्चिम बंगाल
44. न्यू राजकीय बहुतकनीकी, पाटलीपुत्र, पटना 800013 – बिहार
45. राजकीय बहुतकनीकी, गोपालगंज 841428 – बिहार
46. राजकीय बहुतकनीकी, सहारसा 852201 – बिहार
47. महिला बहुतकनीकी, चंद्रशेखरपुर, भुबनेश्वर 751023 – ओड़िशा
48. भुबानंद ओड़िशा इंजीनियरिंग स्कूल, जोबरा, कटक 753007 – ओड़िशा
49. महिला बहुतकनीकी, बेहरामपुर, जिला गुंज्जम 760110 – ओड़िशा
50. राजकीय महिला बहुतकनीकी, श्यामपुर, बोकारो 827010 – झारखण्ड़

Annexure-II

Availability of Polytechnic Diploma Level Formal Programmes in Project Polytechnics/Instiuttions

1. Civil Engineering
2. Mechanical Engineering
3. Electrical Engineering
4. Electronics & Communication Engg
5. PGDCA
6. Office Mgt. & Computer Application
7. Architecture Engineering
8. Information Technology
9. Library Science
10. Instrumentation & Control
11. Textile Technology
12. Textile Printing
13. Textile Designing
14. Computer Engineering
15. Computer Application
16. Chemical Technology
17. Food Technology
18. Foundry Technology
19. Industrial Production
20. Maintenance & Plant Engg
21. Medical Lab. Technologist
22. Welding Technology
23. Interior Decoration
24. Commercial Arts
25. Travel and Tourism
26. Automobile Engineering
27. Costume Design & Dress Making
28. Agriculture Engineering
29. Garment Fabrication Technology
30. Printing Technology
31. Electronics Fibre
32. Accounts and Auditing
33. Fashion Technology
34. Fashion Design
35. Production and Industrial Engineering
36. Pharmacy
37. Fibre Optics
38. Mechanical Engineering - Production
39. Mechanical Engineering - Auto
40. Electronics Engineering
41. Instrumentation Engineering
42. Mechanical Maintenance
43. Architecture Engineering
44. Library Information Science
45. Architecture Assistanceship
46 Electrical & Electronics Engineering
47 M.T.T
48 Fabrication Technology
49 Applied Electronics and Instrumentation
50 Metallurgy
51 Textile Processing
52 Finance and Audit
53 Plastic Technology
54 Power Electronics
55 Beauty Cultural & Practice
56 Commercial Practice
57 Polymer Engineering
58 Electronics and Telecommunication
59 Modern Office Management

Annexure-III

Availability of Non-Formal programs in project Polytechnics/Institutions

1. Abode Photoshop
2. Applique /patchwork
3. Auto –CAD
4. Basic Computer Course for Visually Impaired Persons
5. Battery Making/Repair & Maintenance
6. Beautician
7. Book Binding
8. Carpentry
9. Carpet Making
10. Cartoon and Banner Writing
11. Chalk, Candle Making & Canning
12. Computer Application
13. Computer Hardware
14. Computerized Financial Accountancy
15. Computerized Jewellery
16. Cover and Envelopes making
17. Cutting & Tailoring
18. Data Entry Operator
19. Decorative Bamboo Work
20. Denting and Painting
21. Doll Making
22. Dressing Making
23. Desk Top Publishing
24. Electrical Gadget Repair
25. Electronic Hardware Servicing
26. Fabric Painting
27. Fashion Designing
28. Fitting
29. Food Processing
30. Garment Technology / Manufacturing
31. Hand, Electric Embroidery/Stencil Painting
32. Handicraft Making
33. Hollow Block Making
34. Home Appliance Repair
35. Home Decoration
36. Home Made Products
37. House Wiring
38. Inverter Assembly
39. Jute Handicraft
40. Leather Products Manufacturing
41. Mobile, Telephone Repair
42. Modern Office Practice
43. Motor Winding (Armature & Coil)
44. MS Office
45. Multi Media
46. Nursery Raising
47. Office Automation
48. Page Maker
49. Painting/Drawing
50. Paper Bag and Cover Making
51. Phenyl, Agarbatti & Soap Making
52. Photocopy & Lamination
53. Photography
54. Photoshop and Album Setting
55. Pico Stitching
56. Plumbing
57. Radio, TV &VCD Repairing
58. Refrigeration & AC and Mechanist
59. Repair & Maintenance of Fans
60. Rexene Bag Makin
61. Rubber Stamp Making
62. Scooter/Motorcycle Repair
63. Screen Printing
64. Sewing
65. Silk Screen Printing
66. Manufacture of Chemicals
67. Soap & Detergent Making
68. Soft Toy Making and Crochet
69. Sozni Work
70. Special Software (JAWS) with Multi Media Computer System
71. Stenography
72. Surveyor
73. Tila Embroidery
74. Tracer
75. Transformer Fabrication
76. Typing
77. Umbrella Fitting
78. Watch Repair
79. Welding
80. Zari Work
81. Computer Awareness
82. Diesel Engine Repair
83. Civil Draftsmen
84. Stabilizer Repairing
85. Canning of Chairs
86. Auto Repairing
87. Bicycle Repairing
88. Embroidery
89. Hard Toys
90. Soft Toys
91. Furniture Making
92. Cooking and Catering
93. Computer Graphics
94. Computer Tally
95. Medical Lab. Assistant
96. Office Assistant
97. Network Management
98. Gardening
99. Washing Machine Repair
100. Solar Water Heating System Technician
101. VCD Repair
102. Two Wheeler Repair
103. Watch Repairing
104. TV Repairing
105. Finance
106. Accounting
107. Architectural Draftsmen
108. Internet
109. Knitting
110. Auto CAD
111. Coral Draw
112. Pottery